पुनरीक्षण याचिका ...../17

(28)

रा.रा. न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प, इन्दौर के समक्ष

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2018/0199

1 बलराम पिता जुवारसिंह जाति भिलाला आयु 45 वर्ष

2 भागीरथ पिता जुवारसिंह जाति भिलाला आयु 36 वर्ष

3 कुवरसिंह पिता जुवारसिंह जाति भिलाला आयु 30 वर्ष

4 अनिल पिता बलराम जाति भिलाला आयु 25 वर्ष

5 लाडकीबाई पति भागीरथ जाति भिलाला आयु 34 वर्ष

सभी निवासी– बनेडिया तहसील मनावर जिला धार

....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

देवीसिंह पिता माधव जाति भिलाला आयु 50 वर्ष

धंधा कृर्षि, निवासी– ग्राम बनेडिया तहसील मनावर

जिला धार (म.प्र.)

.....विपक्षी

पुनरीक्षण/निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र., भू–राजस्व संहिता

श्रीमान न्यायालय तहसीलदार, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक प्र.क्रं. 08/अ–13/2016–17 में दिनांक 29.11.2017 को विपक्षी के आवेदन धारा 32 को, निगरानीकर्तागण के विरूद्ध निराकृत किया होने से व्यथित होकर उक्त निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :– आदेश दिनांक 29.11.2017 की सत्य प्रतिलिपि संलग्न अनुलग्नक आर–1,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/2018/0199 [बलराम / देवीसिंह]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील मनावर जिला धार के प्रकरण क्रमांक 8/2016-17/अ-13 में पारित अंतरिम आदेश दि. 29-11-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक को अपने खेत पर जाने के लिये पैतृक व पुराना रूढिगत तथा वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है तो संहिता की धारा 131 एवं धारा 32 के प्रावधान अनुसार अनावेदक को नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है ऐसी स्थिति में अनावेदक को विवादित स्थान पर रास्ता दिये जाने अंतरिम आदेश तहसील न्यायालय पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया तहसीलदार द्वारा विधि के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुये क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अंतरिम रूप से रास्ता दिये का आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा केवल पंचनामा बनाया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा कोई स्थल निरीक्षण टीप अंकित नहीं की गई है एवं स्वयं माना कि अनावेदक का आवेदन स्पष्ट नहीं है, फिर भी बिना किसी आधार के अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया है । तहसील न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार को अपने कार्य का विधि/प्रक्रिया का ज्ञान ही नहीं है । अत: तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश अवैधानिक एवं औचित्यहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील मनावर जिला धार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दि.29-11-2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है । अध्यक्ष	